न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—230 सन् 2022

वेद प्रकाश ....वादी।

बनाम

सुनिता देवी वो अन्य ....प्रतिवादीगण।

दिनांक— 15.06.2023

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 39 नियम 7 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 07.06.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि वादी ने मोकदमा तकरारी एराजी पर हकियत घोषित करने हेतु दाखिल किया है। प्रतिवादी पर नोटिस की सारी प्रकिया हो चुकी है, किंतु प्रतिवादी जानबूझकर उपस्थित नहीं हो रहे हैं और मोकदमे की जानकारी प्रतिवादी को हो गई है। प्रतिवादी को मोकदमे की जानकारी होने के बाद तकरारी भूमि का स्वरूप बदलने किसी अन्य को बिकी करने वो निर्माण करने पर अमादा है तथा निर्माण सामग्री इकट्ठा कर लिए हैं। अतः निवेदन है कि स्थल पर जांच हेतु किसी अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्ति कर भूमि स्टेट्स रिपोर्ट मांगने की कृपा प्रदान की जाए।

उपरोक्त वाद में प्रतिवादी अभी उपस्थित नहीं हुए हैं।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर तकरारी एराजी का वर्तमान स्वरूप को अभिलेख पर लाने हेतु दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी को मोकदमे की जानकारी होने के बाद तकरारी भूमि का स्वरूप बदलने किसी अन्य को बिकी करने वो

निर्माण करने पर अमादा है तथा निर्माण सामग्री इकट्ठा कर लिए हैं तथा जानबूझकर मुकदमें की जानकारी होने के बावजूद भी न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में तकरारी एराजी का वर्तमान भौतिक स्वरूप अभिलेख पर आना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 07.06.2023 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 3000/–रूपये नजारत में जमा करें। अधिवक्ता आयुक्त के रूप में श्री राकेश कुमार को नियुक्त किया जाता है।

वाद दिनांक....................को नोटिस निर्गत करने हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।